राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1059/2013/जयपुर.

मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय,
मालवीय नगर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'जे', जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/02/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 301/आरवेट/जे/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'जे', जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 19.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण दिनांक 03.03.2009 को किया गया था जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 01.04.2006 की ओपनिंग आई.टी.सी. का क्लेम नहीं देने एवं टी. डी.एस की राशि रुपये 5391/– एवं 15919/– का समायोजन नहीं देने से अपीलार्थी की ओर से दिनांक 21.06.2011 को आवेदन–पत्र देकर कर निर्धारण आदेश में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आवेदन को अस्वीकार कर दिया एवं उसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी संशोधन नहीं करना उचित मानते हुये अपील अस्वीकार कर दी गई जिससे व्यथित होकर यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी राज्य सरकार की ईकाई है एवं उनके द्वारा विधिक अंकेक्षण रिपोर्ट एवं विवरण पत्र प्रस्तुत किये हुये थे तथा वैट अधिनियम लागू होने पर दिनांक 31.05.2006 को 01.04.2006 की ओपनिंग आईटीसी का क्लेम रुपये 240483/– बताते हुये

लगातार.....2

उसकी सूचना प्रस्तुत की गई थी परन्तु बाद में जांच पर अपीलार्थी ने क्लोजिंग स्टॉक एवं आई.टी.सी के क्लेम में सुधार करते हुये दिनांक 12.02.2008 को यह पत्र दे दिया गया था कि उनके माल का क्लोजिंग स्टॉक रूपये 68,77,829/– न होकर रूपये 22,30,416/– है एवं आई.टी.सी का क्लेम 240483/– के स्थान पर रूपये 85785/– बता दिया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी जांच किये बिना लेखों एवं ऑडिट रिपोर्ट में अंतर को देखते हुये प्रारंभिक आई.टी.सी. का क्लेम नहीं दिया गया तथा कर की कटौती की राशि का समायोजन नहीं दिया गया क्योंकि वे वर्ष 2005–06 से संबंधित होना बताया गया।

4. विद्वान अभिभाषक ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर निर्धारण आदेश में संशोधन करने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए अपीलीय आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट एवं 31.05.2006 को दी गयी स्टॉक की सूचना में अंतर होने की वजह से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक आई.टी.सी. का क्लेम नहीं दिया गया परन्तु वास्तविक स्थिति को परिज्ञान में लाने के बावजूद भी संशोधन आवेदन को अस्वीकार किया जाना त्रृटिपूर्ण है क्योंकि अपीलार्थी राजकीय मुद्राणालय की ओर से यह तथ्य बता दिया गया था कि पूर्व में दी गई सूचना त्रुटिपूर्ण थी जिसमें सुधार करते हुये दिनांक 12.02.2008 को पत्र दे दिया गया था जिसमें वास्तविक प्रारम्भिक आई.टी.सी क्लेम रूपये 85785/– दर्शाया था। इन तथ्यों के अधीन न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी की बहियात की जांच कर प्रारम्भिक आई.टी.सी. के क्लेम का समायोजन देने का आदेश पारित करें।

7. अपील के दूसरे बिन्दु में अपीलार्थी के विक्रय संव्यवहारों में कुछ क्रेताओं द्वारा भुगतान में कर की कटौती की गई राशि का समायोजन नहीं देना बताया है जबकि वह राशि वर्ष 2005–06 की अवधि से संबधित है अतः उस राशि का समायोजन देने के लिये वर्ष 2006–07 के आदेश में संशोधन करने का विषय ही नहीं है अतः इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है साथ ही अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि टी.डी.एस. की राशि का समायोजन संबंधित वर्षो में प्राप्त करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।

लगातार.....3

8. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

2017

(के. एल. जैन)
सदस्य